(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 28 /2019- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि........ (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 685 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"17	किसी बॉडी कारपोरेट को ऐसे किसी मोटर वाहन को किराए पर देकर दी जाने वाली सेवा जिसे यात्रियों को लाने ले जाने के लिए तैयार किया गया हो और जहां ईंधन का खर्च भी सेवा के प्राप्तकर्ता से लिए जाने वाले प्रतिफल में शामिल हो ।	किसी बॉडी कारपोरेट से भिन्न कोई व्यक्ति जो कि किसी बॉडी कारपोरेट को सेवा की आपूर्ति करता हो और और सेवा के प्राप्तकर्ता से 12 प्रतिशत की दर से एकीकृत कर वसूल करने वाली इनवायस जारी न करे ।	ऐसा कोई बॉडी कारपोरेट जो कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित हो ।" ।

[फाइल संख्या 354/204/2019- टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2019- एकीकृत कर (दर) दिनांक 30 सितम्बर, 2019, सा.का.नि 736 (अ.) दिनांक 30 सितम्बर, 2019, के द्वारा संशोधन किया गया है ।